संख्या-2/2021/334 /एक-1-2021-मु0स0-68/2018

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2021

विषयः-श्री मथुरा वृन्दावन हासानन्द गौचर भूमि ट्रस्ट, मथुरा को ग्राम धौरैरा बांगर एवं धौरैरा खादर में स्थित लगभग 660 एकड़ भूमि को नई लीज के माध्यम से दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-152/सात-बी/भू0व्य0/2018, दिनांक 22 जून, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि श्री मथुरा वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट की स्थापना 1935 में की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य गौ संवधर्न, गौचारण तथा गौवंश का संरक्षण करना था। प्रश्नगत ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1936 से 1939 के मध्य धौरैरा बांगर में 399.87 एकड़ तथा धौरैरा खादर में 605.37 एकड़ भूमि क्रय की गयी। इस प्रकार धौरैरा बांगर और धौरैरा खादर की भूमियों को मिलाकर ट्रस्ट द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कुल 1005.24 एकड़ भूमि विभिन्न काश्तकारों से क्रय की गयी। 01 जुलाई, 1952 को जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के पश्चात् श्री मथुरा वृन्दावन हासानन्द गौचर भूमि ट्रस्ट द्वारा क्रय की गयी 1005.24 एकड़ भूमि में से 38 एकड़ को छोड़कर शेष भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गयी। उक्त 38 एकड़ भूमि पर ट्रस्ट का कब्जा पूर्व से बना हुआ है। दिनांक 13 फरवरी, 1962 में 660.85 एकड़ भूमि पुनर्ग्रहीत कर राज्य सरकार के नाम दर्ज की गयी।

3- उक्त पुनर्ग्रहीत 660.85 एकड़ भूमि को दिनांक 06 अप्रैल, 1962 को श्री मथुरा वृन्दावन हासानन्द गौचर भूमि ट्रस्ट को 20 वर्ष की लीज पर दिया गया। लीज डीड के प्रस्तर-4 में निम्न प्राविधान किया गयाः-

> **"---The Lessor hereby Government with the Lessee that he will at the request and cost of the Lessee at the end of the said term of 20 years execute to the Lessee a new lease of the said premises by way of renewal for another term of twenty years on the same covenants, provisions and condition as are contained in these presents."**

उक्त लीज के अनुसार 20 वर्ष की अवधि के पश्चात् अगले 20 वर्षों के लिए लीज को समान नियम एवं शर्तों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। किन्तु लीज की प्रथम अवधि समाप्त होने के पूर्व ही राजस्व अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-यूओ/2045/ 1973-राजस्व-12, दिनांक 24.9.1973 द्वारा लीज को निरस्त कर दिया गया और उक्त श्री मथुरा-वृन्दावन हासानन्द गौचर ट्रस्ट की

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्पूर्ण भूमि 660.85 एकड़ पुनः राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गयी।

4- शासन के उक्त आदेश दिनांक 24-9-1973 के विरूद्ध ट्रस्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-6758/1973 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 23-11-1981 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि वैधानिक प्रक्रिया अपनाये बिना ट्रस्ट को प्रश्नगत भूमि से बेदखल न किया जाये। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2827/1982 योजित की गयी, जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-9-1984 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

5- श्री मथुरा-वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट को पट्टे की भूमि से बेदखल करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अवैध अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी, मथुरा के न्यायालय में वाद योजित किया गया, जिसमें दिनांक 31.10.1986 को बेदखली आदेश पारित किया। जनपद न्यायाधीश, मथुरा ने अपने निर्णय दिनांक 12.4.1988 द्वारा अपर जिलाधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 31.10.1986 को Set-a-side कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जनपद न्यायाधीश मथुरा के निर्णय दिनांक 12.4.1988 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-11584/1990 कलेक्टर मथुरा बनाम श्री मथुरा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वृंदावन हासानन्द गौचर भूमि ट्रस्ट में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.2009 को पारित आदेश के संगत अंश निम्नवत् है:-

> **"-----A perusal of the aforesaid definition clearly indicates that an unauthorised occupant of a premises should be determined after the expiry of the lease which in the present case, has not been done, in as much as, there is nothing to indicate that the petitioner had determined the lease. On the other hand, there is evidence to indicate that the respondent No.1 had applied for the renewal under the renewal clause of the lease deed and that a suit was subsequently filed for a direction to the State for the renewal of the lease.**
>
> **In view of the aforesaid, the impugned order does not suffer from any error of law. The writ petition is dismissed."**

इस प्रकार सरकार द्वारा दायर याचिका निरस्त हो गयी।

6- श्री एस0के0शर्मा, अध्यक्ष, श्री मथुरा वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट समिति, मथुरा के पत्र दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा गोचर भूमि को पुनः ट्रस्ट को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 22 जून, 2018 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी गयी संस्तुति तथा रिट याचिका संख्या-11584/1990 कलेक्टर मथुरा बनाम श्री मथुरा वृंदावन हासानन्द गौचर भूमि ट्रस्ट में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.3.2009 के क्रम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-1243/11-रा0आ0/2018, दिनांक 11-9-2020 द्वारा शासन को प्रेषित संस्तुति के क्रम में विधिक परामर्श प्राप्त किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- प्रकरण में प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में श्री राज्यपाल श्री मथुरा-वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट को सन् 1962 में पट्टे के रूप में दी गयी 660 एकड़ भूमि, जो कि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज है, को गवर्नमेण्ट ग्राण्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अंतर्गत श्री मथुरा वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट को 06 अप्रैल, 1962 को की गई लीज डीड के प्रस्तर-4 में किये गये प्राविधान के अनुसार (नवीनीकरण हेतु निर्धारित अवधि) 20 वर्षों के लिए 100/- रूपये के प्रतीकात्मक वार्षिक किराये पर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नई (Fresh) लीज के माध्यम से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) पट्टा विलेख का निष्पादन गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के प्राविधानों के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप गाय चराने एवं गायों के लिए चारा उत्पादन से भिन्न नहीं किया जायेगा।

(3) पट्टा असंक्रमणीय होगा अर्थात् पट्टेदार को पट्टाशुदा भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा एवं पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत/वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक नहीं रखा जायेगा।

(4) पट्टा-विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार के द्वारा वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर पट्टा स्वतः समाप्त माना जायेगा और प्रश्नगत भूमि पुनः राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(6) लीज विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3- अध्यक्ष, श्री मथुरा वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट, ग्राम-धौरेरा, पोस्ट- प्रेमनगर, मथुरा (कार्यालय पता-66ए, गोविन्द नगर, मथुरा)
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।